बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १६ अप्रैल, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short-notice Questions and Answers.

हरिजनों के लिये कुओं का प्रबन्ध।

†१६६। श्री जगदीश शर्मा—क्या मंत्री, स्थानीय स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) नई पंचवर्षीय योजना के अनुकूल हरिजनों को पानी पीने के लिये कुआं बनवाने की व्यवस्था है कि नहीं ;

(ख) यदि है तो इस वर्ष में कितने कुएं हरिजनों के लिये बनाये जायेंगे ;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के अन्तर्गत अभी भी हजारों बस्तियां ऐसी हैं जहां के हरिजन पानी के लिये कष्ट भोग रहे हैं और उनको अपने घर से बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या करने को सोच रही है ?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ऐसा संभव है। इस साल के बजट में २ लाख ७५ हजार रुपया ग्राम-पंचायतों द्वारा कुंआ खुदवाने के लिये दिया गया है और ये कुएं विशेषकर हरिजनों के लिये बनाये जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में इतने रुपये इस काम के लिये दिये गये हैं।

श्री शरत दास—क्या कुल रुपये हरिजनों के लिये दिये गये हैं ?

श्री भोला पासवान—इस बात का इन्सट्रक्शन दिया गया है कि हरिजनों के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रिफरेन्स देना चाहिये जिसमें उनके लिये पीने के लिये पानी का प्रबन्ध हो।

(†) सदस्य की अनुपस्थिति में श्री लक्ष्मी नारायण सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री दुलारचन्द राम—जब सरकार इस बात को जानती है कि बेकारी है तो जानबूझ कर क्या सरकार बेकारी नहीं बढ़ा रही है ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

INSPECTION OF DISTRICT AND LOCAL BOARDS BY INSPECTOR, LOCAL BODIES.

288. Shri PRABHUNATH SINGH : Will the Minister-in-charge of the Local Self-Government Department, be pleased to state—

(*a*) the names of District and Local Boards which were inspected by the Inspector of Local Bodies in the years 1952 and 1953 ;

(*b*) the names of the Boards against which action is being or proposed to be taken on the basis of the defects pointed out in the inspection notes referred to in clause (*a*) ;

(*c*) the dates on which the last general election was held in respect of the Boards referred to in clause (*a*) ?

Shri BHOLA PASWAN : (*a*) A statement is laid on the library table.

(*b*) The defects and irregularities pointed out in every inspection note are persued by Government with a view to their rectification.

(*c*) A statement is laid on the library table.

Shri JOGESHWAR GHOSH : I would like to know whether Government has taken any action, i.e., supersession of the Boards against which the enquiry has been set up ?

Shri BHOLA PASWAN : Certainly yes.

Shri JOGESHWAR GHOSH : I want to know the grounds on which the supersession of the Boards are being done ?

SPEAKER : The question is of a very general nature.

श्री जोगेश्वर घोष—इस सुपरसेशन का मतलब है मेम्बाइज को सुपरसीड करना ?

अध्यक्ष—यह सवाल जेनरल नेचर का है। टेबुल पर जो स्टेटमेंट रक्खा हुआ है उसको पढ़ कर सवाल पूछा जा सकता है। आप अल्प-सूचना प्रश्न भेजिये, फल भी जवाब मिल सकता है।

पंडित विनोदानन्द झा—जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने लेड (सी) के जवाब में रक्खा है उस स्टेटमेंट की तिथि को देखने से क्या यह पता चलता है कि इन बोर्डों का नार्मल लाइफ खतम हो गया है ?

श्री भोला पासवान—उसमें तो दिया ही हुआ है।

पंडित विनोदानन्द झा—इसका जीवन काल समाप्त हो गया, तो क्या मंत्री महोदय वहां पुनर्निर्वाचन करने के औचित्य पर विचार करेंगे ?

श्री भोला पासवान—यह सरकार के विचाराधीन है।

पंडित विनोदानन्द झा—यदि निर्वाचन की बात विचाराधीन है, तो फिर उसी बोर्ड को सुपरसीड करने की बात कैसे विचाराधीन है ?

श्री भोला पासवान—सुपरसेशन का अलग ग्राउन्ड है और निर्वाचन की बात अलग है।

पंडित विनोदानन्द झा—जहां पुनर्निर्वाचन ड्यू है वहां जल्द से जल्द निर्वाचन की बात सरकार सोचती है ?

श्री भोला पासवान—प्रश्न के संबंध में जो उत्तर था उसको हमने कह दिया। आपका प्रश्न जेनेरल नेचर का है, कोई पार्टिकुलर बोर्ड के बारे में कहें तो उसका जवाब पूछ कर दिया जायगा।

श्री हृदय नारायण चौधरी—आम चुनाव की बात विचाराधीन है तो कब तक विचाराधीन रहेगी ?

अध्यक्ष—यह सवाल पूछा नहीं जा सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सुपरसेशन का मतलब क्या है, क्या पालिसी है सुपरसेशन करने का ?

श्री भोला पासवान—इसके लिये एक स्वतंत्र नोटिस चाहिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह—सुपरसेशन और रीएलेक्शन कोरिलेटेड है या नहीं ? अभी जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि सुपरसेशन और रीएलेक्शन दोनों अलग चीज है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दोनों में संबंध है या नहीं ?

अध्यक्ष—यह मेटर ओफ ओपिनियन है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—यह मेटर ओफ ओपिनियन नहीं है, यह मेटर ओफ फैक्ट है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री भोला पासवान—जो प्रश्न पूछा गया था उसका पूरा जवाब दिया गया है। सुपरसेशन की बात विचाराधीन है। यह विचार की बात है कि किस आधार पर सुपरसेशन करते हैं, किस आधार पर एलेक्शन करते हैं। यह जेनेरल नेचर का सवाल है, स्वतंत्र नोटिस दें तो इसका उत्तर विस्तार रूप में दिया जा सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—तो क्या यह गवर्नमेंट को मालूम है कि जो भी बात हो लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रहते हैं चाहे मेम्बर हों या एग्जेक्युटिव उसे चलाने के लिये दोनों में संबंध है?

श्री भोला पासवान—आपका यह विचार हो सकता है। सरकार इस चीज को अच्छी तरह जानती है।

BACKWARD CLASSES SCHOLARSHIPS.

253. Shri BHAGAWAT PARSAD: Will the Minister-in-charge of the Local Self-Government Department, be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that there is a Backward Classes Scholarship Committee to advise the Welfare Minister to grant scholarhsip to students of Backward Classes;

(*b*) whether it is a fact that the said Committee decided that renewal of scholarship should not, as a rule, be done in case of school students, while it may be so in case of college students;

(*c*) if the answer to clause (*b*) be in the affirmative, what were the reasons for making the invidious distinction between the college and school students?

Shri BHOLA PASWAN: (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) The Committee decided that in the case of college students the renewals should be made generally as a matter of course subject to the satisfactory progress of the stipendiaries in their studies. No such decision was, however, taken in the case of school students.

(*c*) A very large number of applications were received from the school students and the Committee decided to allot the available stipends to district on population basis as shown in the statement laid on the table. The allotment indicated that there was no scope for fresh awards in some of the districts after renewing all the stipends and the fresh cases would have to be completely ignored. The Committee therefore considered fresh cases of award renewing old awards only as far as possible.